

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

संचिका संख्या-4/आ0-03-1009/2017- 154 राँची, दिनांक- 6/9/19

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (भ्रष्टाचार निरोधी शाखा), राँची द्वारा केस संख्या-RC-10(A) 2012-R में समर्पित आरोप पत्र के आलोक में श्री संजय कुमार मुण्डा, कनीय अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-8326 दिनांक-21.07.2017 द्वारा की गई है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (भ्रष्टाचार निरोधी शाखा), राँची द्वारा केस संख्या-RC-10(A) 2012-R में समर्पित आरोप पत्र में श्री मुण्डा, कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता याँत्रिक नागरिक प्रमण्डल, राँची प्रशाखा-2 रुक्का के विरुद्ध लोक सेवा आयोग द्वारा कनीय अभियन्ता के पद पर चयन हेतु आयोजित परीक्षा के साक्षात्कार के अंको में बेईमानी पूर्वक फेर बदलकर परीक्षा में सफल होकर कनीय अभियन्ता के पद पर चयनीत होने का आरोप है।

2. उक्त के विरुद्ध विभागीय पत्रांक-4414 दिनांक-26.09.2017 द्वारा श्री मुण्डा से कारण पृच्छा की गई। प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत असंतोषजनक पाये जाने एवं विधि विभाग, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री मुण्डा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय आदेश संख्या-216 सपटित ज्ञापांक 3449 दिनांक 16.08.2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. उक्त मामले में जाँच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1800 दिनांक 21.05.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मुण्डा के विरुद्ध सी0 बी0 आई0 की विशेष अदालत में दायर केस संख्या-RC-10(A) 2012-R में न्यायालय से निर्णय प्राप्त होने तक विभागीय कार्यवाही स्थगित करने का मंतव्य दिया गया है।

4. उक्त प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गई एवं पाया गया सी0 बी0 आई0 से प्राप्त आरोप पत्र में कनीय अभियन्ता के साक्षात्कार के Assessment Chart में अंको में बेईमानीपूर्वक हेर- फेर किये जाने का आरोप स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया, जिसका लाभ आरोपी पदाधिकारी श्री मुण्डा को मिला है। उक्त Marks Manipulation श्री मुण्डा के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संलिप्ता के संभव नहीं है। इस प्रकार जाँच संचालन पदाधिकारी के अभिमत से असहमत होते हुए विभाग द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। जिसके अनुपालन में श्री मुण्डा द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

5. उक्त समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं जाँच संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा जाँच संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री मुण्डा के विरुद्ध केस संख्या-RC-10(A) 2012-R में न्यायालय से निर्णय प्राप्त होने तक विभागीय कार्यवाही स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अतएव उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री मुण्डा, कनीय अभियन्ता के विरुद्ध केस संख्या- RC-10(A) 2012-R में न्यायालय से निर्णय प्राप्त होने तक विभागीय आदेश संख्या 216 सपटित ज्ञापांक 3449 दिनांक 16.08.2018 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही स्थगित की जाती है।

6/9/19

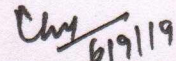
(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

06/09/19

ज्ञापांक-4/आ0-03-1009/2017- 3183 राँची,दिनांक- 6/9/19

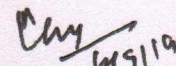
प्रतिलिपि- मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/अवर सचिव (प्रशाखा-03 एवं 04)/सभी कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-4/आ0-03-1009/2017- 3183 राँची,दिनांक- 6/9/19

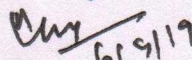
प्रतिलिपि- श्री संजय कुमार मुण्डा, कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता याँत्रिक नागरिक प्रमण्डल, राँची प्रशाखा-2 रुक्का को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

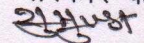
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-4/आ0-03-1009/2017- 3183 राँची,दिनांक- 6/9/19

प्रतिलिपि-श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT),(PMU)पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।


06/09/19